राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 836/2024

अश्विनी कुमार पालीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर डिवीजन, उदयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेह सूरजपोल, उदयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अपील संख्या :– 1676/2023

अश्विनी कुमार पालीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर डिवीजन, उदयपुर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति भिंडर, जिला उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेह सूरजपोल, उदयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री कपिल खण्डेलवाल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2024 एवं

10.01.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुए वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर में कार्यग्रहण कराये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेह सूरजपोल, उदयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 27.06.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1676/2023 प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 14.07.2023 के द्वारा उक्त एपीओ आदेश को स्थगित कर दिया गया। अपीलार्थी का कार्य हमेशा संतोषजनक रहा है और उसके विरूद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, वह निराधार है और न ही आरोप सिद्ध हुए हैं। अपीलार्थी को प्रधानाचार्य द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.12.2022 के द्वारा विकास कैश बुक, छात्र कोष कैश बुक एवं छात्र अभिभावक कैश बुक, रोकड का संधारण करने हेतु कार्य दिया गया, जिसका प्रमाणीकरण भी प्रधानाचार्य द्वारा किया जाकर बिलों का भुगतान किया गया। जबकि अपीलार्थी को आरोप विवरण पत्र में यह आरोपित किया गया कि विद्यालय में प्राप्त अखबारों की नीलामी का बिना उचित प्रचार प्रसार किये एवं बिना निविदा आमंत्रित किये अखबारों/रद्दी का विक्रय कर रूपये 30,000/– को बिना राजकीय रसीद काटे बिना कैश बुक में प्रविष्टि किये, बिना चालान भरे राशि राजकीय कोष में जमा नहीं कराये जाने का आरोप लगाया गया है। जबकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.12.2022 के द्वारा उक्त मामले के संबंध में चार्ज ही नहीं दिया गया और आदेश दिनांक 09.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को गबन करने एवं उच्च अधिकारियों के साथ अभद्रता करने के आरोपों के आधार पर निलंबित कर दिया गया, जो नियम एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2024 एवं 10.01.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुए वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर में कार्यग्रहण कराये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–5, 6 एवं 7 जिस अधिकारी/प्रधानाचार्य के द्वारा जारी किये गये है, का यह स्वयं का दायित्व था कि वह अपने कार्यालय पर नियंत्रण रखता एवं राशि के गबन को रोकता। प्रमाण पत्र जारी किये जाने से अपीलार्थी आरोप मुक्त नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा पूर्णतः भ्रामक कथन अधिकरण के समक्ष किया गया है और अपीलार्थी के विरूद्ध राजकीय राशि के गबन के कोई आरोप नहीं हैं, परंतु अधिकरण के समक्ष स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रारंभिक जांच में आरोप पुष्ट पाये जाने की स्थिति में ही विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, साथ ही अपीलार्थी को समक्ष अधिकारी के स्तर पर ही निलंबित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अधिकरण द्वारा जारी अंतरिम आदेश एवं अपील लंबित होने के बावजूद अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को कैश बुक रोकड आदि का संधारण करने हेतु कार्य दिया गया है। जबकि लाइब्रेरियन द्वारा उक्त रद्दी एवं अखबारों का बेचान किया गया है और गलत तरीके से अपीलार्थी को फंसाकर आरोप लगाया गया है। चूंकि अखबार/रद्दी बेचने आदि का कार्य अपीलार्थी का न होकर लाइब्रेरियन का कार्य है। परंतु बिना किसी कारण के अपीलार्थी को आरोप लगाते हुये दिनांक 21.03.2024 को आरोप पत्र दिया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेह सूरजपोल, उदयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 27.06.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1676/2023 प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 14.07.2023 के द्वारा उक्त एपीओ आदेश को स्थगित कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2024 के द्वारा राजस्थान

असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया और ज्ञापन दिनांक 29.01.2024 के द्वारा आरोप पत्र भी अपीलार्थी को दे दिया गया। परंतु उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थिति एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.03.2023 तथा माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों में जारी न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपने मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम स्तर पर इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के मामले में गंभीर विचार कर आगामी एक माह में अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए नियमानुसार उचित निर्णय लें और अपीलार्थी को सूचित करें।

अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1676/2023 में आलोच्य आदेश दिनांक 27.06.2023 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 28.06.2023 की क्रियान्विति को अधिकरण के आदेश दिनांक 14.07.2023 के द्वारा स्थगित की गई थी और उक्त पत्रावली दिनांक 04.09.2023 वास्ते सुनवाई तामील एवं जवाब हेतु समक्ष रजिस्ट्रार पेश होने के आदेश दिये गये और आगामी तिथी सुनवाई हेतु दिनांक 04.06.2024 नियत की गई, परंतु उससे पूर्व अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.01.2024 के द्वारा विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया। इस प्रकार हमारे मत में उक्त अपील एवं स्थगन आदेश निष्प्रभावी (infructuous) हो चुकी है।

अतः उक्त दोनों अपीलें, उपर्युक्त निर्देशों के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 836/2024 (अश्विनी कुमार पालीवाल) में रखा जाकर, के साथ अपील संख्या 1676/2023 (अश्विनी कुमार पालीवाल) टैग की जाती है एवं आदेश की छाया प्रति अपील संख्या 1676/2023 (अश्विनी कुमार पालीवाल) में रखी जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य